

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/जीएनएम प्रशि. / X-06-10489 / 2024 / 45

दिनांक :- 25/01/2024

### आदेश

निम्नांकित नर्सिंग कार्मिकों को जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण सत्र 2023-24 कोर्स हेतु चयन नर्सिंग कॉलेज आवंटन होने पर इस आदेश में वर्णित शर्तों की पालना के आधार पर संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को उनके अधीनस्त पदस्थापित ~~म.स्वा.कार्य.~~ को कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	कार्मिका का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	आवंटित जीएनएम प्रशिक्षण स्थल
1	रीना मीणा	म.स्वा.कार्य.	उप स्वास्थ्य केन्द्र रघुनाथपुरा देवली	रामी देवी नर्सिंग एवं पेरामेडिकल संस्थान देवली
2	बीना मीणा	म.स्वा.कार्य.	उप स्वास्थ्य केन्द्र ज्योतिपुरा देवली	रामी देवी नर्सिंग एवं पेरामेडिकल संस्थान देवली
3	सुनिता कुमारी मीणा	म.स्वा.कार्य.	उप स्वास्थ्य केन्द्र निवारिया देवली	रामी देवी नर्सिंग एवं पेरामेडिकल संस्थान देवली
4	ममता बैरवा	म.स्वा.कार्य.	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र सुनारा निवाई	जेएलएन इन्सट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन शिवदासपुरा जयपुर
5	विजयलक्ष्मी विजय	म.स्वा.कार्य.	उप स्वास्थ्य केन्द्र अलीमपुरा टोंक	जेएलएन इन्सट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन शिवदासपुरा जयपुर

शर्त:-

- उक्त प्रशिक्षण हेतु कार्मिका की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद स्थाईकरण हो गया हो नियमित नियुक्ति पश्चात न्यूनतम 05 वर्ष की राजकीय सेवा होना आवश्यक है।
- उक्त प्रशिक्षण में चयन होने पर नियमानुसार कार्यमुक्त होकर प्रशिक्षण में प्रवेश लेना होगा।
- उक्त प्रशिक्षण हेतु नियमानुसार अवकाश देय होगा।
- प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति की मांग नहीं करेगी।
- प्रशिक्षण पूर्ण होने पर नियमानुसार पदोन्नति का लाभ देय होगा, कार्मिका द्वारा किसी प्रकार की मांग नहीं की जावेगी।
- प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी उपस्थिति निदेशालय में प्रस्तुत करेगी।
- प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का नियोजन इत्यादि स्वीकार नहीं करेगी।
- राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- उक्त में से जिन कार्मिकाओं का चयन विभागीय कोटे (Inservice) में नहीं हुआ है उन्हें नियमानुसार अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
- श्रीमान शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप -2) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 05.07.2022, आदेश क्रमांक दिनांक 22.12.2022 एवं निदेशालय क आदेश क्रमांक 133 दिनांक 09.09.2022 में उल्लेखित शर्तों की पालना की जायेगी।

RajKaj Ref  
5413093

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

क्रमांक:-ई-20/जीएनएम प्रशि. / X-06-10489/2024/15

दिनांक :- 25/01/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
3. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
4. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
5. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
6. सम्बन्धित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
7. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजस्थान।
8. संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref  
5413093